# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 88 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोंडेंटगण

1. गोपीलाल जोशी पुत्र श्री रामचन्द्र जोशी **बनाम** हीरालाल पुत्र धर्मसी जोशी
2. सुरेश जोशी पुत्र रामचन्द्र जोशी. जाति जोशी ब्राह्मण निवासी
3. राजेश पुत्र रामचन्द्र जोशी बाड़मेर तहसील व जिला
जाति ब्राह्मण निवासी विशाला बाड़मेर
तहसील व जिला बाड़मेर

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 228 / 2019 बउनवान हीरालाल बनाम गोपीलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई।**

उपस्थिति

1. वकील श्री अमृतलाल जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री दामोदरकुमार चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः—28.07.2022**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम विशाला तहसील व जिला बाड़मेर में वादी के पूर्वजों को एक खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 362 रकबा 91.03 बीघा का स्थित है। गत बन्दोबस्त के समय खसरा नम्बर 362 रकबा 91.03 बीघा वादी के पिता धर्मसी पुत्र हेमराज दत पुत्र गिरधारी के काश्त व कब्जा का था। गत बन्दोबस्त वादी के पिता धर्मसी विशाला में न होकर जीविका हेतु गुजरात गये हुए थे और खेत की देखभाल करने हेतु अपने भतीज स्वर्गीय श्री रामचन्द्र पुत्र विरधीचन्द को कहा था उसके बन्दोबस्त में वादी के पिता धर्मसी के साथ आधे हिस्से में रूपचन्द्र पुत्र गिरधारी नाम अंकित करवा दिया। रामचन्द्र पुत्र गिरधारी नाम का कोई जोशी विशाला में न ही रहता था। रामचन्द्र पुत्र विरधीचन्द का नाम जोशी अवश्य था जिसकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 403 रकबा 42.11 बीघा तथा खसरा नम्बर 09 रकबा 75.16 बीघा गत बन्दोबस्त में अंकित करते आ रहे है। प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वज रामचन्द्र पुत्र विरधीनचन्द का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वज रामचन्द्र पुत्र विरधीचन्द का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही काश्त व कब्जा है। गत बन्दोबस्त में रूपचन्द पुत्र गिरधारी का 1/2 हिस्सा वादी के पिता धर्मसी के साथ गलत दर्ज किया गया है जिसे हटाने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2006 को जवाबदावा एवं काऊन्टर दावा पेश किया। प्रतिवादीगण के पिता रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्र एवं वादी के पिता धर्मसी का संयुक्त खातेदारी में गत बन्दोबस्त में वादग्रस्त भूमि अंकित हुई है। वादी के पिता धर्मसी गिरधारीलाल के गोद चले जाने से उसका वादग्रस्त भूमि में कोई हक नहीं था और धर्मसी के स्थायी रूप से विशाला में निवास नहीं करने के कारण वादग्रस्त भूमि में रूपचन्द उर्फ रायचन्द एवं धर्मसी की संयुक्त खातेदारी में अंकित हुई है। वादी पक्ष ने जवाबदावा एवं काऊन्टर क्लेम के संबंध में जवाबुल जवाब पेश किया। वाद पत्र, जवाबदावा, काऊन्टर क्लेम एवं जवाबुल जवाब के आधार पर तनकीयात कायम हुई। काऊन्टर क्लेम के संबंध में विवाधक विरचित किये बिना तथा काऊन्टर क्लेम क्लेम के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन तो दुर संदर्भ तक लिये बिना प्रतिवादी के काऊन्टर क्लेम को न्याय संगत एवं सुनने योग्य नहीं होना निर्णित करते हुए काऊन्टर क्लेम निरस्त कर विवाधक संख्या 06 को उतरदाता वादी के पक्ष में निर्णित कर प्रतिरक्षा के अपीलार्थी के अधिकारों को नकार कर वादी के पक्ष में निर्णित किया है। विवाधक संख्या 01 को साबित करने का सबूत भार वादी पर था लेकिन अधीनस्थ न्यायायल ने सबूत भार प्रतिवादी पर डालकर विवाधक संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित कर न्याय के मूल सिद्धांतो के प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है जो विधि सम्मत नहीं है। वादी ने स्वर्गीय हेमराज के धर्मसी के अलावा विरधीचन्द नाम के पुत्र होने के तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है अपीलार्थी प्रतिवादीगण के रामचन्द्र का विरधीचन्द के पुत्र होने के तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है अपीलार्थी प्रतिवादीगण के रामचन्द्र का विरधीचन्द के पुत्र होने के तथ्य को भी वादी ने अस्वीकार नहीं किया है यहां तक कि वादी ने अपनी साक्ष्य में अपीलर्थी के पिता रामचन्द्र को अपने पिता का निकट भतीज होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में भले ही लिपिकीय त्रुटि से सेटलमेंट के वक्त रामचन्द्र के स्थान पर गांव में बोलचाल में प्रचलित नाम रूपचन्द अंकित हुआ हो तो भी विरधीचन्द के पुत्र के नाते वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी के पिता रामचन्द्र के अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता है। वादी ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परिक्षण में ही यह तथ्य स्वीकार किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत जो व्यक्ति वक्त सेटलमेंट भूमि पर कृषक अथवा उप कृषक के रूप में काबिज था वही उस भूमि का खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

माना गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रामचन्द्र पुत्र गिरधारी नाम के व्यक्ति का विशाला में होना प्रतिवादी द्वारा प्रमाणित नहीं करने के आधार पर विवाधक संख्या 01 वादी के पक्ष मे निर्णित किया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी की साक्ष्य से ही नहीं बल्कि स्वयं उतरदाता वादी की स्वीकृतियों से ही गिरधारी एवं विरधीचन्द का सगा भाई होना, हेमराज के पुत्र होना तथा भूमि पूर्वजों की होना प्रमाणित है जिसे नहीं माने जाने का कोई विधि सम्मत आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2006(1) Page 486
DNJ 2006(1) Page 280
RRT 2002(1) Page 306

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी भू–प्रबंध से पूर्व जागीर काल में गिरधारीलाल स्वामित्व व कब्जा काश्त का था, उक्त गिरधारीलाल के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था, उसने भू–प्रबंध से पूर्व वादी के पिता, धर्मसी को अपना वंश चलाने के लिये गोद ले लिया था, वादी के पिता धर्मसी की गिरधारीलाल द्वारा गोद लेना निर्विवाद हैं क्योंकि स्वयं प्रतिवादी स्वीकार करते हैं कि धर्मसी जो वादी के पिता थे, और जिनका देहान्त हो चुका हैं, को गिरधारीलाल ने गोद लिया था गिरधारीलाल का देहान्त भू प्रबंध से पूर्व हो चुका था तथा यह वादग्रस्त खेत विरासत में वादी के पिता धर्मसी को उसके दत्तकग्रहिता पिता गिरधारीलाल से विरासत में प्राप्त हो गया। भू–प्रबंध के समय वादी के पिता धर्मसी अपनी जिविका उपार्जन हेतु गुजरात प्रान्त गये हुए थे। जाने से पूर्व उन्होने अपने वादग्रस्त खेत की देख–भाल व निगरानी के लिये प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पिता रामचन्द्र जो धर्मसी के रिश्तेदार थे को कह कर गये थे। यह खेत सम्पूर्ण एक मात्र वादी के पिता धर्मसी का ही था जो उन्होने अपने दत्तक ग्रहिता पिता गिरधारीलाल से प्राप्त किया था तथा भू–प्रबंधक अधिकारी को इस आराजी का पर्चा लगान एक मात्र अकेले धर्मसी पुत्र गिरधारीलाल के साथ 1/2 में रूपचन्द पुत्र गिरधारी का नाम दर्ज कर दिया। खेत की निगरानी वादी की अनुपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता रामचन्द्र जी वादी के रिश्तेदार है करते थे। संवत 2018 से 2021 तक ग्राम विशाला की चौसाला जमाबंदी जो खातेदारी रेकर्ड में वादी के पिता धर्मसी पुत्र गिरधारी के साथ रूपचन्द पुत्र गिरधारी का नाम चलता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

रहा वादी के पिता धर्मसी का देहान्त संवत 2022 में हो गया, तथा उसके देहान्त बाद प्रतिवादी के पिता रामचन्द्र पुत्र विरधचन्द जी वादी के पिता धर्मसी के रिश्तेदार थे तथा जिसके भरोसे उनका यह खेत था ने तत्कालीन हल्का पटवारी को प्रभावित कर संवत 2022 से 2025 की चौसाला खतौनी में रूपचन्द पुत्र गिरधारी के स्थान पर अपना नाम रामचन्द्र पुत्र विरधीचन्द अंकित करा दिया व इस कार्यवाही का वादी स्वयं एवं वादी के पिता को कोई जानकारी नहीं होने दी एवं रामचन्द्र के देहान्त पश्चात उनके स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज है और जव वादी को रेकर्ड की स्थिति का ज्ञान हुआ तो प्रतिवादीगण को खातेदारी रेकर्ड से अपने नाम की प्रविष्टियों को हटाने का कहा परन्तु उन्होने कोई संतोषप्रद जवाव नहीं दिया इसलिए हस्तगत वाद पेश किया गया। वाद पत्र की पुष्टि में स्वयं वादी व दो स्वतंत्र गवाह सेढा पड़ौसी जेठाराम व तेजाराम पेश हुए व भू प्रवंध रेकर्ड पर्चा लगान, खतौनी बंदोबस्त संवत 2018 से 2021 तथा 2022 से 2025, वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड की प्रतिये पेश की साथ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 9, 409 की खतौनी की नकले पेश की जो प्रदर्श 07 व 08 है प्रतिवादी की साक्षी में स्वयं प्रतिवादी सुरेशकुमार पेश हुआ दुसरा गवाह गोपाराम दर्जी था जो पेश नहीं हुआ। विचरण न्यायालय ने वाद पत्र व जवाव दावा के आधारों, गवाहान की साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर एवं तनकियात वार विवेचन कर वाद डिक्री किया है, तथा वादी के पक्ष में पारित डिक्री जरिये नामान्तकरण संख्या 1018 खातेदारी रेकर्ड में प्रभावी हो चुकी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत वाद, काउन्टर क्लेम एवं जबावबुल जवाब के आधार पर दिनांक 09.05.2008 को निम्न तनकीयात कायम की गई:—

1. आया ग्राम सरहद विशाला तहसील बाड़मेर में खसरा संख्या 362 रकबा 91.03 बीघा वादी के पिता धर्मसी जोशी के दत्तक पिता स्व. गिरधारी(दत्तक ग्रहिता) के समय से खातेदारी का आवगा खुद काश्त का था।

   जिम्मे वादी
2. आया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 362 रकबा 91.03 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक भूमि पूर्व पुरुष हेमराज के समय से खातेदारी में चली आ रही है।

   जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 से 03

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

3. आया कि वादग्रस्त आराजी में वक्त बंदोबस्त रूपचन्द पुत्र गिरधारी नाम गलत अंकित हुआ, उक्त नाम का व्यक्ति ग्राम विशाला में कोई नहीं था तथा स्व. गिरधारी के एक ही गोद पुत्र धर्मसी ही वारिस थे।

जिम्मे वादी

4. आया कि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता रामचन्द्र का उप नाम रूपचन्द पुत्र विरधीचन्द रहा है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 से 03

5. आया कि वादग्रस्त आराजी में संवत 2022 से 2025 की जमाबन्दी में पटवारी हल्का ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के रूपचन्द पुत्र गिरधारी के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र विरधीचन्द अंकित कर दिया जो परिवर्तन अवैध, शून्य एवं निरप्रभावी है।

जिम्मे वादी

6. आया कि राजस्व खातेदारी के वाद में काउन्टर क्लेम प्रतिवादी को पेश करने का अधिकारी एवं राजस्व न्यायालय को काउन्टर दावा सुनने एवं काउन्टर घोषणा देने क्षेत्राधिकार नहीं है।

जिम्मे वादी

तनकी संख्या 01 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है वादी ने अपने वाद कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में ईएक्सपी–1ए की प्रति पेश की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त खसरा संख्या 362 रकवा 91.03 बीघा रूपचन्द पुत्र गिरधारी 1/2 धरमसी पुत्र गिरधारी 1/2 का इन्द्राज गत बन्दोबस्त में दर्ज हुआ है। रूपचन्द पुत्र गिरधारी नाम का जोशी विशाला में होने सम्बन्धी प्रमाण प्रतिवादी पक्ष ने पेश नहीं किया है। जबकि तनकी संख्या 01 जिम्मे वादी के थी जिनको साबित करना था। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादीगण/अपीलांट वक्त सेटलमेंट से ही खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 01 का विवेचन गलत ढंग से किया गया।

तनकी संख्या 02 का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते वक्त यह निष्कर्ष दिया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक होने तथा पूर्वज हेमराज की खातेदारी की होने संबंधी कोई प्रमांण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जबकि पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात पदर्श–1ए के मुताबिक अपीलाधीन आराजी रूपचन्द पुत्र गिरधारी व धरमसी पुत्र गिरधारी की खोदारी भूमि है। गवाह डी डब्लयू 01 ने अपने शपथ–पत्र में यह स्वीकार किया कि अपीलाधीन आराजी प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पूर्व पुरूष स्वर्गीय हेमराज के समय का खातेदारी का खेत है। हस्तगत तनकी संख्या 02 का निर्णय करते वक्त मातहत अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया गया।

तनकी संख्या 03 तनकी का निर्णय पारितं करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित किया कि रूपचन्द पुत्र गिरधारी नाम राजस्व अभिलेख गलत अंकित हुआ। इस नाम का कोई जोशी विशाला में नहीं होना वादीपक्ष ने अपने वाद पत्र में अंकित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रतिवादीगण का जबाव एवं उनके गवाहों के बयानों का निष्कर्ष दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है।

तनकी संख्या 04 का निर्णय पारित करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि पत्रावली के अभिलेख पर रामचन्द्र पुत्र विरधीचन्द का उपनाम रूपचन्द पुत्र विरधीचन्द रहा है कि बारे में कोई प्रमाण प्रतिवादीगण ने उपलब्ध नहीं करवाया है जबकि प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अपने जबाव दावे में स्पष्ट बताया कि वक्त सेटलमेंट जो स्वर्गीय रूपचन्द उर्फ रामचन्द की वल्दियत गिरधारीलाल लिखी गयी थी वह गलत स्वर्गीय धर्मसी के कहने से लिखी गयी थी जिसकी जानकारी होने पर संवत 2022–2023 की जमाबन्दी में पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण जांच करने के बाद स्वर्गीय रूपचन्द उर्फ रामचन्द की सही वल्दियत विरधीचन्द लिखी गयी जिसका विरोध करते हुए वादी ने अपीलांट/प्रतिवादी के जबाव का जबाव बुल जबावदावा पेश कर उसमें बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी ने वादी/रेस्पोडेंटस का खेत हडपने हेतु गलत रूप से परिवर्तन किया जो नहीं कर सकता। इस तथ्य का निर्धारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं ली गई। तनकी का निर्णय विधि विरूद्ध कर दिया गया।

तनकी संख्या 05 में अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपने निष्कर्ष में यह तय किया कि ईएक्सपी–5 में खातेदार रूपचन्द पुत्र गिरधारी के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र विरधीचन्द बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से अंकित किया है। इस परिवर्तन के बारे में प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जबकि प्रतिवादी/अपीलांट ने अपने जबाव दावे में स्पष्ट किया कि वक्त सेटलमेंट जो स्वर्गीय रूपचन्द उर्फ रामचन्द की वल्दियत गिरधारीलाल लिखी गयी थी वह गलत स्वर्गीय धर्मसी के कहने से लिखी गयी थी जिसकी जानकारी होने पर संवत 2022–2023 की जमाबन्दी में पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण जांच करने के बाद स्वर्गीय रूपचन्द उर्फ रामचन्द की सही वल्दियत विरधीचन्द लिखी गयी। प्रतिवादी को अपने कथनों को साक्ष्य से साबित करने का अवसर दिया जाना लाजमी है।

तनकी संख्या 06 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते वक्त निष्कर्ष दिया कि न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व वाद मे काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का प्रतिवादी पक्ष को अधिकार है परन्तु काउन्टर क्लेम सुनने योग्य है या नही के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सक्षम न्यायालय में निहित है। हस्तगत वाद प्रकरण में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम न्याय संगत एवं सुनने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है जबकि निरस्त करने का कारण अंकित नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात से परे जाकर पारित किया गया। प्रतिवादी/अपीलांट के हितों का निर्धारण करने से पूर्व इनके काउन्टर क्लेम का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं मूल दावे के विचारण हेतु नियत प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में कुल छ तनकी कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तनकीयात का निष्कर्ष/निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तथ्यों, गवाहों के बयानों का गहन मनन एवं अध्ययन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने योग्य ठहरता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 228/2019 बअनवान हीरालाल बनाम गोपीलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.09.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा पेश काऊन्टर क्लेम का निस्तारण करते हुए तनकीयात का विधिसम्मत निष्कर्ष देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्र[illegible] पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर